बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड
महेश भवन, गाँधी मैदान पटना।

कार्यालय आदेश

संचिका संख्या खा0/पुर्न0/235/2016–17

उद्योग विभाग के संकल्प ज्ञापांक संख्या–606 दिनांक– 20.02.2017 द्वारा खादी पुर्नरूद्धार योजनान्तर्गत बिहार में स्थित खादी संस्था/समितियों को स्थिर पूँजी (Fixed Capital) की सुदृढ़ीकरण हेतु चरखा के अतिरिक्त करघा उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. उक्त संकल्प के कंडिका–08 में उल्लेखित शर्त्त के अनुसार निम्न संस्था/समितियों के द्वारा करघा क्रय करने हेतु 50% रूपया 16,65,000.00 (सोलह लाख पैंसठ हजार रूपये) मात्र भुगतान करने की स्वीकृति दी जाती है।

क्र0	संस्था/समिति का नाम एवं पता	उपलब्ध कराये गये त्रिपुरारि मॉडल चरखा की संख्या	संकल्प के कंडिका 10 में उल्लेखित शर्त्त के अनुसार उपलब्ध कराये जाने वाले करघा की संख्या	संकल्प के कंडिका 11 में उल्लेखित शर्त्त के अनुसार प्रति करघा की निर्धारित कीमत	करघा की कुल कीमत (रू0 में)	संकल्प के कंडिका 07 में उल्लेखित शर्त्त के अनुसार स्वीकृत/भुगतेय राशि कीमत का 50 प्रतिशत राशि
1	भरौल ग्रामोदय सहयोग समिति लि0, ग्राम–भरौल, पोस्ट–कोठिया, भाया–झंझारपुर बाजार, मधुबनी बिहार।	20	4	30,000/–	1,20,000/–	60,000/–
2	नरसिंहपुर खादी केन्द्रीत रचनात्मक सहयोग समिति लि0, खादी सदन, पोस्ट–नरसिंहपुर, भाया–ढोली, जिला–मुजफ्फरपुर।	20	4	30,000/–	1,20,000/–	60,000/–
3	ग्राम निर्माण समिति, कतरपुर पोस्ट–वादी, जिला–नालन्दा।	25	5	30,000/–	1,50,000/–	75,000/–
4	मुजफ्फरपुर जिला खादी ग्रामोद्योग संघ, सर्वोदय आश्रम, मुजफ्फरपुर, बिहार	50	10	30,000/–	3,00,000/–	1,50,000/–

Scanned by CamScanner

क्र0	संस्था/समिति का नाम एवं पता	उपलब्ध कराये गये त्रिपुरारि मॉडल चरखा की संख्या	संकल्प के कंडिका 10 में उल्लेखित शर्त्त के अनुसार उपलब्ध कराये जाने वाले करघा की संख्या	संकल्प के कंडिका 11 में उल्लेखित शर्त्त के अनुसार प्रति करघा की निर्धारित कीमत	करघा की कुल कीमत (रू0 में)	संकल्प के कंडिका 07 में उल्लेखित शर्त्त के अनुसार स्वीकृत/भुगतेय राशि कीमत का 50 प्रतिशत राशि
5	मकरन्दा भंडारिसौ ग्रामोदय सहयोग समिति लि0, पोस्ट–भंडारिसौ गंज भाया–मनीगाछी, दरभंगा।	50	10	30,000/–	3,00,000/–	1,50,000/–
6	सर्वोदय आश्रम, ग्राम–बलवापुर, पोस्ट–अस्थावॉ, जिला–मधुबनी।	25	5	30,000/–	1,50,000/–	75,000/–
7	भगवानपुर ग्रामोदय सहयोग समिति लि0, पोस्ट–सुगौना, भाया– राजनगर, जिला–मधुबनी	50	10	30,000/–	3,00,000/–	1,50,000/–
8	उग्र नारायण खादी ग्रामोदय आश्रम, ग्राम–मकरंदा, पो0–मनीगाछी, जिला–दरभंगा	25	5	30,000/–	1,50,000/–	75,000/–
9	हबिबुल्लाह ग्रामीण विकास खादी एण्ड ग्रामोद्योग संघ, ग्राम-बैराघाट, पो0-सुगौना, भाया-राजनगर, जिला-मधुबनी	80	16	30,000/–	4,80,000/–	2,40,000/–
10	तिसिऔता ग्रामोदय सहयोग समिति लि0, प्रधान कार्यालय– सिडीघाट, पो0–हाजीपुर, वैशाली	15	3	30,000/–	90,000/–	45,000/–
11	रेशम खादी ग्रामोद्योग संघ, उर्दू बाजार रोड, रेकाबगंज, भागलपुर	80	16	30,000/–	4,80,000/–	2,40,000/–

Scanned by CamScanner

क्र0	संस्था/समिति का नाम एवं पता	उपलब्ध कराये गये त्रिपुरारि मॉडल चरखा की संख्या	संकल्प के कंडिका 10 में उल्लेखित शर्त्त के अनुसार उपलब्ध कराये जाने वाले करघा की संख्या	संकल्प के कंडिका 11 में उल्लेखित शर्त्त के अनुसार प्रति करघा की निर्धारित कीमत	करघा की कुल कीमत (रू0 में)	संकल्प के कंडिका 07 में उल्लेखित शर्त्त के अनुसार स्वीकृत/भुगतेय राशि कीमत का 50 प्रतिशत राशि
12	रोसड़ा अनुमण्डलीय ग्रामोद्योग विकास मंडल, प्रधान कार्यालय दूर्गा स्थान, रोसड़ा, पो0—रोसड़ा, समस्तीपुर	15	3	30,000/—	90,000/—	45,000/—
13	नाजिर अली एज्यूकेशनल एण्ड वेलफेयर डेवलपमेन्ट सोसाईटी, लोहना रोड, मधुबनी	10	2	30,000/—	60,000/—	30,000/—
14	सरसोंपाही पोली वस्त्र उत्पादक ग्रामोदय सहयोग समिति लि0, ग्राम+पो0—सरसोंपाही, जिला—मधुबनी	20	4	30,000/—	1,20,000/—	60,000/—
15	रामप्रकाश खादी एवं ग्रामोद्योग सेवा आश्रम, ग्राम+पो0—बसैठा, जिला—मधुबनी	25	5	30,000/—	1,50,000/—	75,000/—
16	डूमरा खादी ग्रामोद्योग संघ, ग्राम+पो0—डूमरा, भाया—रूद्रपुर, जिला—मधुबनी	10	2	30,000/—	60,000/—	30,000/—
17	लक्ष्मीनगर ग्रामोदय सहयोग समिति लि0, भच्छी, पो0—भच्छी, मधुबनी	25	5	30,000/—	1,50,000/—	75,000/—
18	आदित्यडीह खादी ग्रामोद्योग बुनकर संघ, आदित्यडीह, पो0—पचही, ब्लॉक—मधेपुर, मधुबनी	10	2	30,000/—	60,000/—	30,000/—
		कुल :—	111		**33,30,000/—**	**16,65,000/—**

Scanned by CamScanner

3. उक्त स्वीकृत राशि का भुगतान खादी पुर्नरूद्धार योजना मद में प्राप्त राशि से की जायेगी।

4. संस्था/समिति के अध्यक्ष/मंत्री को निदेश है कि संकल्प ज्ञापांक संख्या–606 दिनांक–20.02.2017 के कंडिका 02 एवं 03 में दिये गये शर्तों के अनुसार ही करघा क्रय करेगें।

(प) करघा क्रय करने के लिए 90 (नब्बे) प्रतिशत अनुदान दी जायेगी तथा 10 (दस) प्रतिशत खादी संस्थाओं को स्वयं वहन् करना होगा।

(पप) करघा की गुणवत्ता (Specification) निम्न प्रकार होगी एवं खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप होगी –

(क) करघा पुरा आयरन का बना हो।

(ख) करघा पैरों से चलने वाला (पैडल ऑपरेटेड) होना चाहिए, जिसकी बुनाई की शटल अपने आप चलती हो।

(ग) करघा गियर पद्धति का हो।

(घ) करघा का अरज कम से कम 45 इंच एवं अधिक से अधिक 62 इंच का हो।

(ड़) करघा का कार्य क्षमता 8 घंटे में कम से कम 10 से 20 मीटर बुनने की हो।

5. खादी संस्थाए अपने स्तर से क्रय के पूर्व करघा की गुणवत्ता एवं उपयोग से स्वयं संतुष्ट हो लेगें।

6. करघा कीमत की राशि खादी संस्था/समितियों के बैंक खाते में सीधे NEFT/RTGS के माध्यम से भुगतान बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किया जायेगा। यह राशि क्रय के पहले 50 (पचास) प्रतिशत भुगतान किया जायेगा, शेष 50 (पचास) प्रतिशत का भुगतान करघा क्रय एवं उसे स्थापित किये जाने के बाद उसकी जॉच खादी और ग्रामोद्योग आयोग एवं बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से किये जाने के उपरान्त ही किया जायेगा।

7. खादी संस्था/समितियों की जिम्मेवारी होगी कि उनके द्वारा क्रय किये गये करघा का संचालन एवं तकनीकी जानकारी अपने स्तर से आपूर्तिकर्त्ता से प्राप्त करेगें।

8. करघा के क्रय स्थापना एवं संचालन से संबंधित सूचना खादी संस्थाओं द्वारा बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना को एक माह के अन्दर उपलब्ध कराया जायेगा।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
29/5/17

पटना, दिनांक– 29-5-17

ज्ञापांक– 609/29
प्रतिलिपि :– उपर्युक्त सभी संस्था/समिति के अध्यक्ष/मंत्री को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
29/5/17

पटना, दिनांक– 29-5-17

ज्ञापांक– 610/29
प्रतिलिपि :– राज्य निदेशक, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, भेटनरी कॉलेज, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
29/5/17

Scanned by CamScanner

ज्ञापांक–

पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि :– उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी / प्रशाखा पदाधिकारी / सहायक लेखा पदाधिकारी (प्र0) / सहायक लेखा पदाधिकारी (खादी पुर्नरूद्धार योजना सह अंकेक्षण) / प्रभारी सहायक (खादी पुर्नरूद्धार योजना) / निजी संचिका एवं गार्ड संचिका को आवश्यकतार्थ प्रेषित।

02. सहायक लेखा पदाधिकारी (खादी पुर्नरूद्धार योजना सह अंकेक्षण) को निदेश है कि कटिया चरखा आवंटित किये गये संस्था / समिति के खाते में स्वीकृत राशि को RTGS/NEFT के माध्यम भुगतान करना सुनिश्चित करें।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
29/5/17

ज्ञापांक– खा॰ बो॰/29

पटना, दिनांक– 29-5-17

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार पटना के सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
29/5/17

ज्ञापांक– खा॰ बो॰/29

पटना, दिनांक– 29-5-17

प्रतिलिपि :– महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधुबनी / मुजफ्फरपुर / नालन्दा / दरभंगा / वैशाली / भागलपुर / समस्तीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
29/5/17

ज्ञापांक– खा॰ बो॰/29

पटना, दिनांक– 29-5-17

प्रतिलिपि :– जिला खादी ग्रामोद्योग पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड जिला कार्यालय मुजफ्फरपुर / पटना (नालन्दा) / दरभंगा / भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यकतार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
29/5/17

Scanned by CamScanner